अति महत्वपूर्ण

संख्या–1802/सेक–2–पांच–16–7(177)/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका
जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2016

विषयः–पी0एम0एच0एस0संवर्ग के चिकित्साधिकारियों का वेतन का भुगतान माह के प्रथम सप्ताह तक सुनिश्चित कराया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–2680/सेक–2–पांच–13, दिनांक 04.07.13 द्वारा यह निर्देश दिया गया था यदि किसी चिकित्सक द्वारा माह में सम्पादित कार्यों की डायरी के संबंध में उसकी उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप दैनिक डायरी में निर्धारित प्रारूप की सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उस चिकित्सक का अगले माह का वेतन आहरित न किया जाय।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के वेतन का भुगतान माह के प्रथम सप्ताह में ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–1802(1)/सेक–2–पांच–16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।